

पर्चा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,  
जिला हनुमानगढ़

पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि०न० 386/2024

नजर मोहम्मद पुत्र यासीन मोहम्मद जाति कलाल निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़। वादी

बनाम्

रमजान मोहम्मद पुत्र यासीन मोहम्मद जाति कलाल निवासी गुडिया तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़।

प्रतिवादी


डिक्री

दिनांक 19/6/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष  
वकील वादी श्री रियासत अली व प्रतिवादी वकील सुभाष पारीक अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु  
प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के  
कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं० 7 एस. बी.  
एन के खाता सं० 145/119 में कुल 2.1770 है० नहरी मय गै०मु० आराजी में से चक नं० 7  
एस.बी.एन के प०न० 206/202 भु० 24 किलानं० 1/.152 है० नहरी भूमि का वादी खातेदार  
काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चक नं० 7 एस.  
बी. एन. के. खाता सं० 145/119 में से प्रतिवादी का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार  
राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने  
के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में  
अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी  
की गई।



  
(सत्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।